

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:-प.19(04)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 15.10.20 की अनुपालना में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित निम्नलिखित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित स्थान पर किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्त पर पद का नाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक नागर	राउमावि,गंगड़तालाई, बांसवाड़ा	व्याख्याता (अंग्रेजी)	राजकीय ईएमआरएस, पाटन, जिला अलवर



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020 दिनांक- 21-12-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)